उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या :09/2020/2486/छप्पन-2019-93/2018
लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2020
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2019-20 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद-42-अन्य व्यय					
305301800030042-अन्य व्यय	15000.00	82.85	82.85	82.85	14917.15
योग	15000.00	82.85	82.85	82.85	14917.15

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय 29-अनुरक्षण					
207000114030002 मजदूरी	1200.00	1275.00	75.00	75.00	75.00
207000114030004 यात्रा व्यय	22.00	27.00	5.00	5.00	5.00
207000114030021 छात्रवृत्ति और छात्र वेतन	2.30	5.15	2.85	2.85	2.85
योग	1224.30	1307.15	82.85	82.85	82.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- सम्बन्धित संस्थाओं से सीट अण्डरराईटिंग के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- निदेशालय के पायलटों/कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान करने, यात्रा भत्ता देयको के भुगतान, छात्रवृत्ति और छात्रवेतन के अन्तर्गत स्टाइपेन्ड का भुगतान किए जाने हेतु व्ययाधिक्य हो रहा है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। सुरेन्द्र सिंह विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या- ई-7- 332/दस-2019, दिनांक : 30 जनवरी, 2020 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। हस्ताक्षर ..... (राजेन्द्र राम) अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या :09/2020/2486(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	डॉ सत्य प्रकाश तिवारी अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।